

I. प्रारंभिक अध्याय

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न 1.1 नये विधेयक में 'परिभाषाओं' से संबंधित धारा 2 में क्या सरलीकरण किया गया है?

उत्तर: निम्नलिखित सरलीकरण किए गए हैं

i. जहाँ भी संभव हो सका, भाषा को अर्थ से छेड़छाड़ किए बिना सरल बनाया गया है।

ii. सभी परिभाषाएँ वर्णानुक्रम में ही रहेंगी।

iii. आयकर अधिनियम, 1961 में कई स्थानों पर जिन शब्दों को एक ही तरीके से परिभाषित किया गया है, उन्हें अब धारा 2 में रखा गया है। उदाहरण के लिए, वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा, जो 1961 के अधिनियम में छह स्थानों पर दिखाई दे रही थी, अब धारा 2 में रखी गई है।

प्रश्न 1.2 'कर वर्ष' क्या है? यह किसका स्थान लेता है? इसे शुरू करने की क्या आवश्यकता थी? 'कर वर्ष' शब्द के स्थान पर 'वित्तीय वर्ष' शब्द का उपयोग क्यों नहीं किया गया?

उत्तर: कर वर्ष एक वित्तीय वर्ष में निहित बारह महीनों की अवधि है। यह आयकर अधिनियम, 1961 में प्रयुक्त पिछले वर्ष शब्द की जगह लेता है। इसके अलावा, आयकर विधेयक में 'मूल्यांकन वर्ष' शब्द के प्रयोग को बंद करने के साथ ही अब आयकर की दर या दरों के संबंध में भी 'कर वर्ष' शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा, कुल आय की आय का कोई भी मूल्यांकन भी कर वर्ष के लिए किया जाएगा।

'पिछले वर्ष' और 'मूल्यांकन वर्ष' शब्दों का प्रयोग करदाताओं के मन में भ्रम पैदा कर रहा था क्योंकि वे दो अलग-अलग वित्तीय वर्षों का प्रतिनिधित्व करते थे। 'पिछले वर्ष' के वित्तीय वर्ष या वित्तीय वर्ष के भाग (विशिष्ट मामलों में) के साथ संरेखण के मद्देनजर दो शब्दों के उपयोग का औचित्य अब मान्य नहीं है। "कर वर्ष" शब्द का प्रयोग आम तौर पर तुलनीय कर क्षेत्राधिकारों में आयकर कानून में किया जाता है

चूंकि कर वर्ष एक ऐसी अवधि हो सकती है जो कुछ मामलों में वित्तीय वर्ष से कम होती है, इसलिए 'पिछले वर्ष' और 'मूल्यांकन वर्ष' शब्दों को हटाते समय वित्तीय वर्ष शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। हालांकि, कर कानून को लागू करते समय कर अधिकारियों और अन्य हितधारकों द्वारा कई कार्य किए जाते हैं, जो प्रक्रियात्मक क्रियाएं और अनुपालन होते हैं, जैसे रिटर्न दाखिल करने की समय अवधि, सुधार आदि, जिसके लिए वित्तीय वर्ष का संदर्भ आवश्यक होता है। ऐसे मामलों में, वित्तीय वर्ष द्वारा दर्शाई गई समय अवधि अधिक प्रासंगिक होती है। इसका मतलब है कि 'वित्तीय वर्ष' शब्द की अलग से आवश्यकता है।

प्रश्न 1.3 क्या नए विधेयक में 'वित्तीय वर्ष' को भी परिभाषित किया गया है? क्या नए विधेयक में 'वित्तीय वर्ष' शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है? यदि यह 'कर वर्ष' के समान है तो यह विधेयक में अभी भी क्यों दिखाई दे रहा है?

उत्तर: "वित्तीय वर्ष" शब्द आयकर विधेयक में परिभाषित नहीं है। यह आयकर अधिनियम, 1961 में भी परिभाषित नहीं है। इसे सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3(21) में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वर्ष के लिए परिभाषित किया गया है। आयकर विधेयक में 'वित्तीय वर्ष' शब्द का प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए, विधेयक की प्रस्तावित धारा 21(5) में स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में रखे गए भवन के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पूर्णता प्रमाण-पत्र के संबंध में वित्तीय वर्ष का संदर्भ दिया गया है। ऐसे मामलों में, "कर वर्ष" शब्द के बजाय वित्तीय वर्ष शब्द प्रासंगिक है।

प्रश्न 1.4 क्या 'कर वर्ष' वह अवधि हो सकती है जो 'वित्तीय वर्ष' से कम हो?

उत्तर: हाँ। ऐसा तब होगा जब किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कोई व्यवसाय नया स्थापित किया जाता है, या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान आय का कोई स्रोत अस्तित्व में आता है। ऐसे मामलों में, कर वर्ष व्यवसाय की स्थापना या आय के स्रोत के अस्तित्व में आने की तारीख से शुरू होगा, और उस वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन समाप्त होगा।

प्रश्न 1.5 क्या किसी विशेष समय पर 'कर वर्ष' की अवधारणा 'मूल्यांकन वर्ष' की अवधारणा के प्रतिकूल होगी ? उदाहरण के लिए, यदि नया अधिनियम 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होता है, तो क्या नए अधिनियम का कर वर्ष 2026-27 आयकर अधिनियम, 1961 के मूल्यांकन वर्ष 2026-27 के प्रतिकूल होगी?

उत्तर: नहीं। कारण इस प्रकार हैं:

- i. आयकर अधिनियम, 1961 का निर्धारण वर्ष 2026-27, करदाता की पिछले वर्ष 2025-26 की आय से संबंधित होगा न कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की आय से;
- ii. नये अधिनियम का कर वर्ष 2026-27 वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए करदाता की आय से संबंधित होगा;
- iii. किसी करदाता की पिछले वर्ष (वित्तीय वर्ष) 2025-26 की आय का निर्धारण, निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा;
- iv. करदाता की कर वर्ष (वित्तीय वर्ष) 2026-27 की आय का निर्धारण वर्ष कर वर्ष 2026-27 के विधेयक के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

प्रश्न 1.6 क्या चार्जिंग सेक्शन की सामग्री में कोई बदलाव हुआ है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 1961 में आयकर का प्रभार किसी व्यक्ति की 'पिछले वर्ष' की कुल आय पर था। इसके अलावा, आयकर एक 'आकलन वर्ष' के लिए केंद्रीय अधिनियम द्वारा निर्धारित दर या दरों पर लगाया जाता है। आयकर विधेयक में, 'पिछले वर्ष' शब्द के स्थान पर "कर वर्ष" शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा, 'निर्धारण वर्ष' शब्द का प्रयोग बंद कर दिया गया है। अब, कुल आय भी एक 'कर वर्ष' से संबंधित है और आयकर की दर या दरें भी उस 'कर वर्ष' से संबंधित हैं।

प्रश्न 1.7 चार्जिंग अनुभाग को किस प्रकार सरल बनाया गया है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 4 में दो उपधाराएँ और एक परंतुक है। धारा में लंबे वाक्यों का इस्तेमाल किया गया है। आयकर विधेयक में पाँच उपधाराएँ हैं। आयकर के प्रभार को छोटे और सरल वाक्यों में स्पष्ट किया गया है।

प्रश्न 1.8 क्या विधेयक में लाभांश के संदर्भ में 'वित्तीय कंपनियों' और 'वित्तीय इकाइयों' का उल्लेख किया गया है, जिसका वित्तीय संस्थाओं और निवेशकों पर प्रभाव पड़ सकता है?

उत्तर: आयकर विधेयक 2025 में वित्त विधेयक 2025 में प्रस्तावित सभी संशोधन भी शामिल हैं। इसलिए, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे आयकर विधेयक, 2025 को पढ़ते समय वित्त विधेयक 2025 में प्रस्तावित संशोधनों के साथ आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों की तुलना करें। इसलिए, विधेयक में ऐसा कोई अतिरिक्त शब्द नहीं जोड़ा गया है। वित्त विधेयक 2025 में दो समूह संस्थाओं के बीच अग्रिम या ऋण को 'लाभांश' शब्द की परिभाषा से बाहर रखने का प्रस्ताव किया गया है, जहाँ एक संस्था "वित्त कंपनी" या "वित्त इकाई" है। विधेयक में केवल वित्त विधेयक, 2025 में किए गए प्रस्ताव को शामिल किया गया है।

II. गैर-लाभकारी संगठन

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न-II 1. इस विधेयक में गैर-लाभकारी संगठनों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन क्यों किया गया है?

उत्तर: आयकर अधिनियम में विभिन्न संस्थाओं को छूट प्रदान की गई है, जिनमें सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थाएँ शामिल हैं, जो धर्मार्थ प्रकृति के कार्यों में लगी हुई हैं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने वाली कुछ गतिविधियों में लगी संस्थाओं को भी विशिष्ट छूट उपलब्ध है। ये संस्थाएँ दान, स्वैच्छिक योगदान प्राप्त करती हैं और धर्मार्थ प्रकृति की गतिविधियों से अन्य आय प्राप्त करती हैं। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 30 नवंबर 2024 तक ऐसी संस्थाओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल रिटर्न की कुल संख्या 2,50,682 है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्यों के लिए ऐसी संस्थाओं द्वारा लागू की गई कुल राशि 10.01,572.04 करोड़ रुपये है। इसलिए, समझने और अनुपालन में आसानी के लिए गैर-लाभकारी संगठनों से संबंधित सभी प्रावधानों को सरल और समेकित करना आवश्यक माना गया।

प्रश्न II.2 वर्तमान आयकर अधिनियम में गैर-लाभकारी संगठनों से संबंधित प्रावधान कहां निहित हैं?

उत्तर: पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठनों से संबंधित वर्तमान प्रावधान निम्नलिखित अध्यायों में समाहित हैं:

- (i). अध्याय I: धर्मार्थ उद्देश्य धारा 2(15)
- (ii) अध्याय III: धारा 10(23सी), धारा 11, धारा 12, धारा 12ए, धारा 12एए, धारा 12एबी, धारा 12एसी और धारा 13
- (iii). अध्याय VIA: धारा 80G
- (iv). अध्याय XII: धारा 115बीबीसी, धारा 115बीबीआई
- (v). अध्याय XII ईबी: धारा 115टीडी, धारा 115टीई, धारा 115टीएफ

प्रश्न II.3. एनपीओएस से संबंधित अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों में क्या चुनौतियाँ हैं?

उत्तर: पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठनों से संबंधित वर्तमान प्रावधानों को निम्नलिखित कारणों से समझना कठिन है:

- (i) चूंकि प्रावधान विभिन्न अध्यायों में फैले हुए हैं, अतः कई परस्पर संदर्भ हैं।
- (ii). चूंकि पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठनों से संबंधित प्रावधान समय के साथ विकसित हुए हैं, इसलिए वर्तमान अधिनियम में स्पष्टीकरण और शर्तों के रूप में कई संशोधन किए गए हैं, जिससे उन्हें पढ़ना मुश्किल हो गया है। धारा 11 में ही 13 स्पष्टीकरण और 16 शर्तें हैं।
- (iii). विभिन्न प्रावधानों और स्पष्टीकरणों के परस्पर प्रभाव के कारण इसे समझना काफी कठिन हो जाता है।

प्रश्न संख्या II 4. पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठनों से संबंधित प्रावधानों को पुनः तैयार करते समय क्या दृष्टिकोण अपनाया गया है?

उत्तर: गैर-लाभकारी संगठनों से संबंधित प्रावधानों को पुनः तैयार करते समय निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाया गया है।

- (i) वर्तमान अधिनियम में विभिन्न प्रावधानों में ट्रस्ट, संस्था, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्था, अस्पताल आदि जैसे विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है। विधेयक में अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप एक सामान्य शब्द पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन का प्रयोग किया गया है।
- (ii) धारा 10(23सी) में "अनुमोदन" शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि धारा 12एबी में "पंजीकरण" शब्द का प्रयोग किया गया है। भ्रम से बचने के लिए विधेयक में "पंजीकरण" शब्द का प्रयोग किया गया है।

(iii) पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठनों से संबंधित सभी प्रावधानों को अध्याय XVII के भाग बी में व्यवस्थित किया गया है जिसका शीर्षक है "बी-पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठनों के लिए विशेष प्रावधान जिसमें वर्तमान धारा 11, धारा 12, धारा 12ए, धारा 12एए, धारा 12एबी, धारा 13, धारा 115बीबीसी, धारा 115बीबीआई, धारा 115टीडी, धारा 115टीई, धारा 115टीएफ, तथा वर्तमान आयकर अधिनियम की धारा 80जी(5) के प्रथम एवं द्वितीय परंतुक के अंतर्गत अनुमोदन से संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं।

(iv) अनावश्यक प्रावधानों को हटा दिया गया है।

(v) विभिन्न परिदृश्यों की स्पष्ट समझ के लिए कुछ प्रावधानों को सारणीबद्ध किया गया है, जैसे कि निम्नलिखित प्रावधान:

क. पंजीकरण के लिए आवेदन;

ख. निर्दिष्ट आय और वह कर वर्ष जिसमें यह कर योग्य है,

ग. अर्जित आय पर कर की गणना

प्रश्न II.5 इस अभ्यास के परिणामस्वरूप कितने शब्द कम हो गए हैं?

उत्तर: इस अभ्यास के परिणामस्वरूप, शब्दों की संख्या में पर्याप्त कमी आई है, जो लगभग 12,800 शब्दों से घटकर 7,600 शब्द रह गई है।

प्रश्न II.6. नये भाग की संरचना क्या है?

उत्तर: भाग XVII-B की संरचना निम्नलिखित है

1.पंजीकरण	2.आय	3. व्यावसायिक गतिविधियाँ	4.अनुपालन	5. उल्लंघन
*पंजीकरण के लिए आवेदन *शासन व्यवस्था में परिवर्तन	*पंजीकृत एनपीओ की आय पर कर *विशिष्ट आय *कुल आय में शामिल न की जाने वाली आय *कॉर्पस दान *माना गया कॉर्पस दान *आय का आवेदन *आय का संचय *आय का माना गया संचय	*व्यावसायिक उपक्रम को संपत्ति के रूप में रखा गया *पंजीकृत एन.पी.ओ द्वारा व्यावसायिक गतिविधियाँ * जी.पी.ओ. के साथ पंजीकृत एन.पी.ओ द्वारा *व्यावसायिक गतिविधियाँ	* लेखापरीक्षा की पुस्तकें *आय की विवरणी *अनुमति प्राप्त निवेश का माध्यम	*विशिष्ट उल्लंघन *अर्जित आय पर कर *अन्य उल्लंघन *दान के लिए अनुमोदन (पुरानी 80G) *व्याख्याएं

गैर-लाभकारी संगठनों से संबंधित संपूर्ण भाग को 7 उप-भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें पंजीकरण, आय, वाणिज्यिक गतिविधियाँ, अनुपालन, उल्लंघन, दान की पात्रता के प्रयोजनों के लिए पंजीकरण और व्याख्या से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

प्रश्न II.7 'पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन' का क्या अर्थ है जिसका वर्तमान अधिनियम में प्रयोग नहीं किया गया है?

उत्तर: वर्तमान आयकर अधिनियम में विभिन्न प्रावधानों में ट्रस्ट, संस्था, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल आदि जैसे विभिन्न शब्दों का उपयोग किया गया है। पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन शब्द का अर्थ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए, 12एए या 12एबी या धारा 10 (230) के तहत वैध पंजीकरण रखने वाले किसी भी व्यक्ति से है और ऐसा पंजीकरण रद्द नहीं किया गया है। सामान्य शब्द 'पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन' का उपयोग भ्रम से बचने और विधेयक के प्रावधानों की स्पष्ट समझ के लिए किया गया है।

प्रश्न 8. नए प्रावधानों के तहत पंजीकरण का क्या अर्थ है? क्या अब अनुमोदन के लिए भी पंजीकरण शब्द का ही प्रयोग किया जाता है?

उत्तर: धारा 10(23सी) में "अनुमोदन" शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि धारा 12एबी में "पंजीकरण" शब्द का प्रयोग किया गया है। भ्रम से बचने के लिए, "पंजीकरण को विधेयक में अनंतिम पंजीकरण, अनंतिम अनुमोदन या अनुमोदन को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है, जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23सी) या 12एबी (1) के दूसरे परंतुक में और नए आयकर विधेयक, 2025 की प्रस्तावित धारा 332 के तहत संदर्भित है। हालांकि, इसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी (5) के दूसरे परंतुक या आयकर विधेयक, 2025 की धारा 354 के तहत अनुमोदन शामिल नहीं है।

प्रश्न 9. क्या मौजूदा पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठनों को नए प्रावधानों के अंतर्गत पुनः पंजीकरण कराना आवश्यक होगा?

उत्तर: पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठनों को छूट देने के लिए दो नियम थे। पहली व्यवस्था धारा 10(230) में निहित है और दूसरी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 से 19 में निहित थी। दोनों व्यवस्थाओं में कुछ सामान्य प्रावधान थे जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BBC, 115BBT, 115TD, 11STE 115TF और धारा 2015) में निहित थे। वित्त (सं. 2) अधिनियम 2024 में प्रावधान है कि पहली व्यवस्था के तहत 01 अक्टूबर, 2024 को या उसके बाद कोई आवेदन नहीं किया जा सकता है। हालांकि, पहली व्यवस्था के तहत दी गई मंजूरी उनकी मंजूरी की अवधि के लिए वैध बनी रहेगी। वे बाद में दूसरी व्यवस्था के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

पूर्ण के प्रावधानों के अनुसार, सभी पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन लाभ का दावा करने के पात्र हैं। पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसके पास आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए, 12एए या 12एबी या धारा 10 (210) के तहत वैध पंजीकरण है और ऐसा पंजीकरण रद्द नहीं किया गया है।

इस प्रकार, विधेयक में पहले और दूसरे दोनों ही व्यवस्थाओं के तहत मौजूदा पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठनों की पात्रता की रक्षा करने का प्रस्ताव है।

प्रश्न II.10 क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं कि नए प्रावधानों से प्रावधानों को बेहतर ढंग से समझने में किस प्रकार मदद मिलेगी?

उत्तर: वर्तमान अधिनियम के प्रावधानों में कई परस्पर संदर्भ शामिल हैं। आयकर विधेयक, 2025 की प्रस्तावित धारा 332(3) की तालिका में आवेदन प्रस्तुत करने की समय-सीमा, आदेश पारित करने की समय-सीमा और विभिन्न मामलों में पंजीकरण की वैधता को बहुत सरल और स्पष्ट तरीके से प्रदान किया गया है।

प्रश्न II.11 पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठनों की आय पर कर-देयता के लिए एक समर्पित धारा 334 प्रस्तावित है। क्या पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठनों की आय पर कोई अतिरिक्त कर लगाने का प्रस्ताव है?

उत्तर: नहीं। चूंकि अधिकांश पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन अपनी नियमित आय का 85% धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए लगाते हैं, इसलिए उनके मामले में कर योग्य नियमित आय शून्य होगी और उनके हाथ में कोई कर देयता नहीं होगी। हालांकि, यदि कोई पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन अपनी नियमित आय का 85% लगाने या उसे संचित करने में सक्षम नहीं

है, तो ऐसे कर वर्ष के लिए नियमित आय जो धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों या उसके संचय के लिए उसके आवेदन से कम हो जाती है, उसकी कर योग्य नियमित आय होगी और कर के अधीन होगी।

प्रश्न II. 12 निर्दिष्ट आय की अवधारणा क्या है और क्या यह पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठनों की किसी भी नई आय पर कर लगाने का प्रस्ताव करता है?

उत्तर नहीं। किसी भी नई आय पर कर लगाने का प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान अधिनियम विभिन्न उल्लंघनों के लिए धारा 13, धारा 115बीबीसी और धारा 115बीबी1 जैसे विभिन्न प्रावधानों में बिखरी हुई आय की करयोग्यता प्रदान करता है। विधेयक ऐसे सभी प्रावधानों को एक ही स्थान पर लाने का प्रयास करता है।

प्रश्न.13 धारा 11(1ए) के तहत पूंजीगत लाभ से संबंधित प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है? क्या आप इसके पीछे का तर्क बता सकते हैं?

उत्तर: वर्तमान आयकर अधिनियम की धारा 11(1ए) में यह प्रावधान है कि जहां पूंजीगत परिसंपत्ति, जो पूर्णतः धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट के तहत रखी गई संपत्ति है, हस्तांतरित की जाती है और शुद्ध प्रतिफल का पूरा या उसका कोई भाग इस प्रकार धारित की जाने वाली अन्य पूंजीगत परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए उपयोग किया जाता है, तो हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ को उक्त धारा के तहत प्रदान की गई सीमा तक धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए लागू किया गया माना जाएगा।

चूंकि पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन के उद्देश्यों के लिए किसी परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत को आय के अनुप्रयोग के रूप में माना जाता है, इसलिए ये प्रावधान अनावश्यक थे और इसलिए इन्हें हटा दिया गया।

प्रश्न 14. विधेयक में डीमड एप्लीकेशन से संबंधित प्रावधान भी हटा दिए गए हैं। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं?

उत्तर: पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठनों को दो प्रकार के संचय की अनुमति है। पहला, धारा 11(2) के प्रावधानों के अनुसार संचय की अनुमति पाँच कर वर्षों की अवधि के लिए है। दूसरा, धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 1(2) के प्रावधानों के अनुसार कुछ निर्दिष्ट कारणों (आम तौर पर आय की प्राप्ति न होने के कारण एक वर्ष के लिए संचय) के लिए मान्य आवेदन की अनुमति है। संचय के दोहरे प्रावधान कार्यान्वयन और व्याख्या में कठिनाइयाँ पैदा कर रहे थे।

वर्तमान आयकर अधिनियम की धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 1(2) के अंतर्गत मान्य आवेदन से संबंधित प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया है। इससे मुकदमेबाजी कम करने और अनुपालन को आसान बनाने में मदद मिलेगी। विधेयक की प्रस्तावित धारा 342 के अंतर्गत संचयन निर्धारित प्रपत्र में बताया गए किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।

III. धारा 10 छूट"

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न III. 1. क्या आप आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 में दी गई छूट से संबंधित प्रावधानों को संक्षेप में समझा सकते हैं?

उत्तर: छूट से संबंधित प्रावधान कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 में निहित हैं। धारा 10 में लगभग 140 खंड हैं, जो विभिन्न व्यक्तियों और आय को छूट प्रदान करते हैं। धारा 10 अपने वर्तमान स्वरूप में विभिन्न वर्षों में किए गए परिवर्तनों के साथ विकसित हुई है, ताकि या तो किसी वर्ग के व्यक्तियों को छूट प्रदान की जा सके या उनकी आय के आधार पर, जैसा भी मामला हो।

प्रश्न III. 2. मौजूदा प्रावधानों को समझने में क्या कठिनाइयां हैं?

उत्तर: चूंकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 एक शुरुआती वाक्य से शुरू होती है और इसमें प्रदान की गई विभिन्न छूट खंडों के रूप में हैं, इसलिए प्रारूपण में अंतर्निहित सीमाएं थीं। धारा 10 के खंड 23 सी में 15 उप-खंड हैं जैसे 10(2300) (1)। (ur), (tha), (maa), (шала), (шаала), (нав), (mac), (iad), (use), (DV), (v), (vi), और (via) खंड (230) में 24 प्रावधान हैं। खंड (230) के तीसरे प्रावधान में 7 स्पष्टीकरण हैं और तीसरे प्रावधान के स्पष्टीकरण 2 में फिर से प्रावधान हैं। इस प्रकार, खंडों के भीतर प्रावधान हैं, इन प्रावधानों के लिए स्पष्टीकरण और फिर स्पष्टीकरण के लिए प्रावधान हैं

प्रश्न III.3 आयकर अधिनियम, 1961 में वर्तमान में धारा 10 के प्रावधानों पर विचार करते समय विधेयक लिखते समय क्या दृष्टिकोण अपनाया जाता है?

उत्तर: प्रावधानों को पुनः तैयार करते समय निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाया गया है

- छूट से संबंधित सभी प्रावधानों को करदाताओं की विशिष्ट श्रेणी से संबंधित 6 अलग-अलग अनुसूचियों में तैयार किया गया है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है।
- अनावश्यक प्रावधानों को हटा दिया गया है।
- छूट के लिए पात्र आय, पात्र व्यक्ति तथा लागू शर्तें समझने में आसानी के लिए प्रत्येक अनुसूचियों के अंतर्गत तालिका के विभिन्न स्तंभों में दी गई हैं।

धारा 10 के सभी खंडों को निम्नानुसार 6 अलग-अलग अनुसूचियों में रखा गया है:

अनुसूची II	आय जैसे कृषि आय
अनुसूची III	छूट के लिए कुछ पात्र व्यक्ति जैसे फर्मों के साझेदार और एचयूएफ आदि
अनुसूची IV	* गैर निवासियों को छूट
अनुसूची V	व्यावसायिक ट्रस्टों, सॉवरेन वेल्थ फंडों आदि को छूट
अनुसूची VI	आईएफएससी इकाइयों को छूट
अनुसूची VII	व्यक्तियों को कर से छूट प्राप्त है

प्रश्न III. 4. अभ्यास के परिणामस्वरूप कितने शब्द कम हो गए हैं?

उत्तर: इस अभ्यास के परिणामस्वरूप, जहां तक धारा 10 का संबंध है, आयकर अधिनियम 1961 में वर्तमान में लगभग 30,000 शब्दों से नए आयकर विधेयक, 2025 में लगभग 13,500 शब्दों तक की पर्याप्त कमी आई है।

प्रश्न III.5 विधेयक द्वारा जटिलताओं को किस प्रकार कम करने का प्रस्ताव है?

उत्तर: उपरोक्त प्रश्न III 10 और III.11 के अनुसार प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने के अलावा, वर्तमान धारा 10 में सभी 90 स्पष्टीकरण और 134 प्रोविजो (परन्तु से शुरू होने वाले) को नए विधेयक में हटा दिया गया है।

प्रश्न III.6 यदि छूट से संबंधित प्रावधानों को अनुसूचियों में ले जाने का प्रस्ताव है, तो क्या विधेयक के मुख्य भाग में कोई प्रावधान हैं?

उत्तर: हां, प्रस्तावित विधेयक की धारा 11 में छूट से संबंधित कुछ प्रावधान हैं जबकि शेष को अनुसूचियों में रखा गया है।

प्रश्न III.7 धारा 10 के उन खंडों के बारे में क्या कहा जाएगा जो अनुसूचियों में स्थान नहीं पाते?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड जिन्हें समाप्त कर दिया गया है, उन्हें अनुसूचियों में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, पिछले निवेशों आदि के लिए संरक्षित कुछ छूटों को बचत खंड के माध्यम से विधेयक में संरक्षित किया गया है।

IV वेतन और गृह संपत्ति

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न IV. 1. नये विधेयक में वेतन और आवास संपत्ति प्रावधानों की भाषा और संरचना को करदाताओं के लिए आसान बनाने हेतु किस प्रकार सरल बनाया गया है?

उत्तर: सरलीकरण स्पष्टता बढ़ाने और अनुपालन में आसानी सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। वेतन और गृह संपत्ति पर अध्याय विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है ताकि करदाता स्वयं उन अध्यायों को पढ़ सकें और अपनी आयकर रिटर्न दाखिल कर सकें। इन अध्यायों का मसौदा तैयार करते समय, ऐसे क्षेत्रों के मुद्दों को संबोधित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप करदाताओं की ऐसी श्रेणी से आम शिकायतें प्राप्त होती हैं।

प्रश्न IV 2. अध्याय को किस प्रकार सरल बनाया गया है तथा नये अध्याय में कितने शब्द कम किये गये हैं?

उत्तर: पुनर्गठन ने सभी आवश्यक प्रावधानों को बरकरार रखते हुए अनावश्यक प्रावधानों को समाप्त करके अध्याय की लंबाई को काफी कम कर दिया है। विभिन्न खंडों में सभी मौजूदा प्रावधानों और स्पष्टीकरणों के विखंडन को समाप्त करने, पठनीयता में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रावधानों में एकीकृत किया गया है कि संबंधित प्रावधान सुसंगत रूप से प्रस्तुत किए जाएं। मुख्य परिवर्तनों को नीचे दी गई तालिका में संक्षेपित किया गया है:

- 'वेतन' भाग के लिए शब्दों की संख्या 4401 से घटाकर 3420 कर दी गई है तथा 'गृह संपत्ति से आय' भाग के लिए शब्दों की संख्या 1658 से घटाकर 1177 कर दी गई है।
- वेतन से संबंधित सभी प्रावधानों को 'वेतन' भाग के अंतर्गत लाया गया है, ताकि करदाता को अपनी आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अलग-अलग अध्यायों का संदर्भ न लेना पड़े।
- भाषा पढ़ने में सरल है, तथा सभी महत्वपूर्ण शब्दावली जैसे अनुलाभ, वेतन के बदले लाभ, मानक कटौती आदि को स्पष्ट किया गया है तथा उन्हें अलग-अलग अनुभागों में रखा गया है।
- कानूनी और तकनीकी शब्दावली को न्यूनतम कर दिया गया है, तथा अनुलाभ जैसे प्रावधानों को अधिक संरचित और स्पष्ट तरीके से पुनः लिखा गया है।
- कुछ प्रावधानों को नियमों में शामिल कर लिया गया है तथा बेहतर पठनीयता के लिए अनावश्यक एवं दोहराव वाले प्रावधानों को हटा दिया गया है।

प्रश्न IV 3. 'वेतन' और 'गृह संपत्ति' अध्याय में अधिक परिवर्तन क्यों नहीं किए गए हैं?

उत्तर: इस प्रयास का उद्देश्य मौजूदा ढांचे को पूरी तरह से बदलने के बजाय इसे सरल बनाना था। प्रस्तावित विधेयक निरंतरता बनाए रखते हुए बेहतर स्पष्टता और दक्षता सुनिश्चित करता है।

खास तौर पर 'हाउस प्रॉपर्टी से आय' वाले हिस्से के लिए, यह देखा गया कि प्रावधान पहले से ही काफी सरल हैं और आम जनता द्वारा इन्हें अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है। हाउस प्रॉपर्टी का वार्षिक मूल्य, स्वयं के कब्जे वाली संपत्ति आदि जैसी अवधारणाओं को अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है और आय के इस शीर्ष के प्रावधानों और गणना की व्याख्या करने में बहुत कम विवाद है।

इसलिए, सुचारु परिवर्तन और न्यूनतम भ्रम सुनिश्चित करने के लिए इस भाग में न्यूनतम परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं।

V. व्यापार और पेशे से लाभ और प्राप्ति

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न V. 1. व्यवसाय एवं पेशे के लाभ एवं प्राप्ति अध्याय में प्रमुख परिवर्तन क्या हैं?

उत्तर: व्यवसाय और पेशे के लाभ और प्राप्ति अध्याय में लाए गए प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं:

- i. सुसंगति में सुधार लाने, तार्किक संबंध बनाने और सहज प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अनुभागों के प्रवाह को संशोधित किया गया है।
- ii. समान अनुभाग, जैसे कि निवासियों और गैर-निवासियों के लिए अनुमानित कराधान आदि, का सामग्री सरल बनाने, इसे अधिक संक्षिप्त बनाने और सभी संबंधित परिदृश्यों को एक ही स्थान पर समेकित करने के लिए, विलय कर दिया गया है।
- iii. समान विषयों पर प्रावधान, जैसे कर्मचारी कल्याण पर कटौती, जो पहले पूरे अध्याय में बिखरे हुए थे, को आसानी से समझने और अनुपालन करने के लिए एक साथ समूहीकृत किया गया है।
- iv. जिन जटिल अवधारणाओं को पहले समझना मुश्किल था उन्हें स्पष्ट करने के लिए फॉर्मूला-आधारित स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं, जैसे लिखित मूल्य की परिभाषा।
- v. कई परिदृश्यों वाले प्रावधान, जैसे कि वास्तविक लागत निर्धारित करने के प्रोवाइजों (परन्तु से शुरू होने वाले), जिन्हें पहले प्रावधान या स्पष्टीकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया था, को बेहतर पठनीयता और समझ के लिए एक तालिका में व्यवस्थित किया गया है।
- vi. अस्पष्टता को खत्म करने और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए अध्याय के सभी प्रोवाइजों (परन्तु से शुरू होने वाले), और स्पष्टीकरणों को उप-अनुभागों में परिवर्तित कर दिया गया है।
- vii. अनावश्यक और पहले से ही समाप्त प्रावधानों को हटा दिया गया है।
- viii. एकल व्यवसाय खंड के लिए विशिष्ट प्रावधान, जिनका उपयोग करदाताओं के छोटे उप-समूह द्वारा किया जाता है, को एक नई अनुसूची में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि जटिलता को कम करने और अनुभाग के सार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ प्रक्रियात्मक प्रावधानों को नियमों में स्थानांतरित कर दिया गया है।
- ix. परिणामस्वरूप, कुल शब्द संख्या आधे से कम हो गई है, और अनुभागों की संख्या 65 से घटकर 41 हो गई है।

प्रश्न V. 2. पीजीबीपी अध्याय में अनुभागों का क्रम कैसे और क्यों बदला गया?

उत्तर: समान प्रावधानों को एक साथ समूहीकृत करने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए, सामान्य व्यय भत्ते (धारा 37) और वास्तविक भुगतानों के लिए कटौती (धारा 43बी) से संबंधित प्रावधानों को धारा 40 और 40ए के प्रावधानों के साथ रखा गया है। इसी तरह, वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय, धारा 35एडी (निवेश से जुड़ी कटौती), कौशल विकास परियोजना व्यय और कृषि विस्तार परियोजना व्यय पर प्रावधानों को प्रस्तावित धारा 45, 46 और 47 में एक साथ समूहीकृत किया गया है।

प्रश्न V. 3. आयकर विधेयक 2025 में "कर्मचारी कल्याण से संबंधित कटौती" से संबंधित प्रावधानों में क्या अंतर हैं?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 1961 में, कर निधि, ग्रेच्युटी फंड, सुपरनेशन फंड आदि के लिए व्यय को धारा 40ए (7), (9) और 36 (1) (iv),(iva), (va) के तहत बहुत अधिक कर दिया गया था। कर व्यय की स्वीकार्यता निर्धारित करने के लिए, चार्जिंग अनुभागों के अलावा कई प्रावधानों का संदर्भ लेना पड़ता था | नए कर बिल में, उन प्रावधानों को एक ही धारा (प्रस्तावित धारा 281) के तहत समेकित किया गया है, जिससे उन्हें समझना और उनका अनुपालन करना आसान हो गया है। भाषा को सरल बनाया गया है, किन्तु कर भार या कटौती में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रश्न V. 4. आयकर विधेयक 2025 में "अशोध्य ऋण के लिए कटौती तथा अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान" से संबंधित प्रावधानों में क्या अंतर है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 1961 में, खराब ऋणों के लिए कटौती से संबंधित प्रावधान धारा 36(1)(vii)(viii) और 36(2) में निहित हैं, जिसमें 10 खंड/उपखंड, 6 प्रोवाइजों (परन्तु से शुरू होने वाले) और 4 स्पष्टीकरण शामिल हैं। इन प्रावधानों को अब एक अलग खंड में समेकित किया गया है, जिसमें सभी प्रावधान और स्पष्टीकरण उप-खंडों/खंडों में परिवर्तित हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए, खराब ऋण प्रावधानों के लिए भत्ता एक सारणीबद्ध प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। ये परिवर्तन प्रावधान को समझने और उसका अनुपालन करने में आसान बनाते हैं। अनुमति या अनुमति के समय में कोई बदलाव नहीं है।

प्रश्न V. 5. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 और आयकर विधेयक, 2025 की नई धारा 13, अर्थात् "मूल्यहास के लिए कटौती" के बीच क्या अंतर है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32, जो मूल्यहास से संबंधित है, पिछले 63 वर्षों में बहुत जटिल हो गई है। इसमें 6 खंड/उपखंड, 9 प्रोवाइजों (परन्तु से शुरू होने वाले) और 6 स्पष्टीकरण शामिल हैं। नए विधेयक में, सभी प्रोवाइजों (परन्तु से शुरू होने वाले) और स्पष्टीकरण को उपखंड/खंड में बदल दिया गया है, जिससे शब्दों की संख्या 40% कम हो गई है। ये परिवर्तन प्रावधान को समझने और उसका अनुपालन करने में आसान बनाते हैं। मूल्यहास की दर, पात्रता या भत्ते की विधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रश्न V. 6. वास्तविक लागत और लिखित मूल्य की परिभाषा में क्या परिवर्तन हुए हैं?

उत्तर: वास्तविक लागत और लिखित मूल्य की परिभाषाओं को विभिन्न स्पष्टीकरणों, शर्तों और प्रावधानों को सारणीबद्ध प्रारूप में परिवर्तित करके सरल बनाया गया है। हालाँकि, वास्तविक लागत और लिखित मूल्य की वर्तमान परिभाषाएँ अपरिवर्तित बनी हुई हैं। केवल अनावश्यक प्रावधानों (जैसे, लिखित मूल्य निर्धारित करने के लिए सद्भावना समायोजन) को हटा दिया गया है। सारणीबद्ध प्रारूप समझ को सरल बनाता है, स्पष्टता में सुधार करता है और अस्पष्टता की संभावना को कम करता है।

प्रश्न V. 7. 'वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय' से संबंधित प्रावधानों में क्या परिवर्तन हुए?

उत्तर: धारा 35 में मौजूदा प्रावधान वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए खर्चों की कटौती से संबंधित है। हालाँकि, समय के साथ कई प्रावधान जोड़े जाने के कारण यह जटिल और अनावश्यक रूप से लंबा हो गया है। आयकर विधेयक 2025 में प्रस्तावित धारा 45 में मौजूदा नीति को बनाए रखते हुए प्रवाह को पुनर्गठित करके वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय कटौती की स्पष्टता में सुधार किया गया है।

प्रश्न V. 8. 'विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के प्रभाव का पूंजीकरण' संबंधी धारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43ए से किस प्रकार भिन्न है?

उत्तर: वर्तमान अधिनियम की धारा 43ए पूंजी परिसंपत्ति देयता के लिए भुगतान करते समय मुक्त उतार-चढ़ाव के प्रभाव को भुनाने से संबंधित है। मौजूदा पाठ लंबा, जटिल है और इसमें दोहराव और अतिरेक है। नए विधेयक में, धारा के अर्थ को संरक्षित करते हुए, इसे चार उपधाराओं में विभाजित किया गया है, जिन्हें मोर्स डेनी तरीके से तैयार किया गया है। धारा की समझ को और सरल बनाने के लिए "भिन्नता" के लिए एक सूत्र पेश करके जटिलता को कम किया गया है।

प्रश्न V. 9. कौन से प्रावधान अनुसूची में स्थानांतरित किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर: साइट बहाली निधि से संबंधित प्रावधान, साथ ही चाय विकास खाता, कॉफी विकास खाता और रबर विकास खाता, जो विशेष रूप से विशिष्ट व्यापारों और कुछ करदाताओं पर लागू होते हैं, को स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया है। बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रावधान पहले की तरह अनुसूची में ही रहेंगे।

प्रश्न V. 10. आयकर विधेयक 2025 में आस्थगित व्यय से संबंधित प्रावधानों को किस प्रकार बदला गया है?

उत्तर: दूरसंचार सेवाओं, एकीकरण, विभाजन और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए व्यय के परिशोधन से संबंधित प्रावधानों को एक खुले रूप में प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान पाठ में, दोहरावपूर्ण प्रस्तुति ने पाठ को लंबा कर दिया है और इसे पढ़ना मुश्किल बना दिया है। प्रस्तावित आयकर विधेयक 2025 में, किसी भी नीतिगत बदलाव का सुझाव दिए बिना, भाषा को सरल बनाते हुए इन खर्चों को एक खंड में रखने का प्रयास किया गया है।

प्रारंभिक व्ययों के परिशोधन तथा खनिजों की खोज के व्यय से संबंधित प्रावधानों को एक अलग अनुभाग में रखा गया है।

प्रश्न V. 11. निवासियों के अनुमानित कराधान से संबंधित प्रावधानों में क्या बदलाव किया गया है, नया आयकर विधेयक 20252

उत्तर: अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के तहत, व्यवसाय (धारा 44एडी), पेशे (धारा 44एडीए) और मालवाहक वाहन चलाने, किराये पर देने या पट्टे पर देने के व्यवसाय (धारा 44एई) से आय अर्जित करने वाले निवासियों को सरल कराधान व्यवस्था की अनुमति है।

प्रस्तावित आयकर विधेयक 2025 में, किसी भी नीतिगत परिवर्तन का सुझाव दिए बिना सरल भाषा को अपनाते हुए, इन सभी समान अनुमानित कराधान योजनाओं को सारणीबद्ध रूप में एक खंड में समेकित करने का प्रयास किया गया है। सामान्य पात्रता शर्तें तालिका के नीचे उप-अनुभागों के रूप में सूचीबद्ध हैं। यह दृष्टिकोण निवासियों के लिए अनुमानित कराधान व्यवस्थाओं की स्पष्ट समझ प्रदान करता है, पठनीयता में सुधार करता है, और मौजूदा प्रावधानों की तुलना में पाठ को काफी छोटा करता है।

प्रश्न V. 12. नये आयकर विधेयक में अनिवासी के प्रकल्पित कराधान से संबंधित प्रावधानों में क्या परिवर्तन हुआ है?

उत्तर: अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत, कुछ व्यावसायिक गतिविधियों से आय अर्जित करने वाले गैर-निवासियों को सरलीकृत कराधान व्यवस्था की अनुमति है। वर्तमान में, ये अनुमानित कराधान योजनाएँ पाँच खंडों में फैली हुई हैं,

वित्त विधेयक 2025 में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान विनिर्माण को सेवाएं प्रदान करने वाले अनिवासियों के लिए भी इसी प्रकार की योजना का प्रस्ताव किया गया है।

प्रस्तावित आयकर विधेयक 2025 में, इन समान अनुमानित कराधान योजनाओं को सारणीबद्ध रूप में एक खंड में समेकित करने का प्रयास किया गया है, जबकि भाषा को सरल बनाया गया है। सामान्य पात्रता शर्तों को तालिका के नीचे उप-खंडों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह दृष्टिकोण गैर-निवासियों के लिए अनुमानित कराधान व्यवस्थाओं की स्पष्ट समझ प्रदान करता है, पठनीयता में सुधार करता है, और मौजूदा प्रावधानों की तुलना में पाठ की लंबाई को काफी कम करता है।

प्रश्न V. 13. नये आयकर विधेयक, 2025 में "सहकारी बैंकों के व्यवसाय पुनर्गठन के मामले में कटौती की गणना के लिए विशेष प्रावधान" से संबंधित प्रावधानों में क्या परिवर्तन हुआ है?

उत्तर: इस धारा को सरल बनाने और दोहराव को खत्म करने के लिए, पूर्ववर्ती सहकारी बैंक और उत्तराधिकारी सहकारी बैंक परिवर्तित बैंकिंग कंपनी के लिए मूल्यहास और अन्य कटौती निर्धारित करने के सूत्र को मिला दिया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि धारा को समझना आसान है, जबकि उद्देश्य अपरिवर्तित रहता है।

प्रश्न V. 14. क्या विधेयक में सेवा अनुबंधों की राजस्व मान्यता और इन्वेंट्री मूल्यांकन के लिए नई धाराएं शामिल की गई हैं?

उत्तर: जैसा कि अन्यत्र उल्लेख किया गया है, विधेयक में कोई प्रमुख नीतिगत परिवर्तन नहीं किया गया है। सेवा अनुबंधों की राजस्व मान्यता और इन्वेंट्री मूल्यांकन के लिए कोई नई धाराएँ नहीं जोड़ी गई हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43सीबी में पहले से ही सेवा अनुबंध से उत्पन्न होने वाले व्यवसाय के लाभ और लाभ का निर्धारण करने की पद्धति निर्धारित की गई है, जबकि धारा 145ए इन्वेंट्री के मूल्यांकन की विधि निर्धारित करती है। विधेयक के खंड 57 और 277 को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत प्रासंगिक धारा के अनुरूप सेवा अनुबंधों और इन्वेंट्री मूल्यांकन के लिए खंड के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

प्रश्न V. 15. क्या नए विधेयक में व्यवसाय व्यय की वैधता की जांच करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी की शक्तियों के संबंध में कोई परिवर्तन किया गया है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37 "व्यापार या पेशे के लाभ और लाभ" शीर्षक के तहत प्रभार्य आय की गणना के उद्देश्य से व्यय में कटौती की अनुमति देने के लिए शर्तें निर्धारित करती है। आयकर विधेयक, 2025 ऐसे प्रावधानों के दायरे को बरकरार रखता है। विधेयक का खंड 34 करदाता द्वारा किए जा रहे व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए व्यय में कटौती की अनुमति देने के लिए समान सामान्य शर्तों का प्रावधान करता है।

VI. क्लबिंग प्रावधान

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न संख्या VI. 1. क्या प्रस्तावित आयकर विधेयक, 2025 में कराधान की दर या क्लबिंग की पद्धति में कोई बदलाव किया गया है?

उत्तर: नये विधेयक में कराधान की दर या आय को जोड़ने की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

प्रश्न संख्या VI. 2 'आय की क्लबिंग' से संबंधित प्रावधानों में क्या परिवर्तन किया गया है?

उत्तर: हमने भाषा को सरल बनाया है और अनावश्यक प्रावधानों को हटाया है। इसके अलावा, जहाँ भी संभव था, निश्चितता लाई गई है। समझने में आसानी और गणना में निश्चितता के लिए सूत्र पेश किए गए हैं। उदाहरण के लिए:

मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा	नए आयकर विधेयक, 2025 की धारा
<p>आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 64 (1) का स्पष्टीकरण 3</p> <p>स्पष्टीकरण 3. खंड (iv) और (vi) के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी व्यक्ति द्वारा अपने पति या पत्नी या बेटे की पत्नी (जिसे इस स्पष्टीकरण में इसके बाद "हस्तांतरिती" कहा गया है) को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की गई परिसंपत्तियों का निवेश हस्तांतरिती द्वारा किया जाता है-</p> <p>(i) किसी व्यवसाय में, ऐसा निवेश, जो किसी फर्म में भागीदार के रूप में पूंजी के योगदान की प्रकृति का न हो या, जैसा भी मामला हो, किसी फर्म में साझेदारी के लाभों में शामिल होने के लिए न हो, किसी पिछले वर्ष में व्यवसाय से हस्तांतरिती को होने वाली आय का वह हिस्सा, जो व्यवसाय से हस्तांतरिती की आय के समान अनुपात रखता है, जैसा कि पिछले वर्ष के पहले दिन पूर्वोक्त परिसंपत्तियों का मूल्य उक्त दिन को हस्तांतरिती द्वारा व्यवसाय में किए गए कुल निवेश से रखता है।</p> <p>(ii) किसी फर्म में एक भागीदार के रूप में पूंजी के योगदान की प्रकृति में, किसी भी पिछले वर्ष में फर्म से अंतरिती द्वारा प्राप्त ब्याज का वह हिस्सा, जो फर्म से अंतरिती द्वारा प्राप्त ब्याज के समान अनुपात रखता है, जैसा कि पिछले वर्ष के पहले दिन उपरोक्त निवेश का मूल्य, उक्त दिन फर्म में एक भागीदार के रूप में पूंजी योगदान के माध्यम से कुल निवेश को दर्शाता है, उस पिछले वर्ष में व्यक्ति की कुल आय में शामिल किया जाएगा।</p>	<p>सूत्र (नमूना): $A = B \times (C/D)$</p> <p>जहाँ-</p> <p>A- कर वर्ष के लिए व्यक्ति के हाथ में शामिल की जाने वाली आय।</p> <p>B- पति या पत्नी को व्यवसाय या फर्म से प्राप्त आय या ब्याज या दोनों, जैसा कि कर वर्ष के दौरान लागू हो।</p> <p>C- कर वर्ष के प्रथम दिन तक पति/पत्नी या पुत्र की पत्नी द्वारा निवेशित या पूंजी के रूप में योगदान की गई ऐसी परिसंपत्तियों का मूल्य।</p> <p>डी- पति या पत्नी या बेटे की पत्नी द्वारा, जैसा भी मामला हो, उस दिन तक कुल निवेश या कुल पूंजी अंशदान, जिसके लिए ए की गणना की जा रही है।</p>

VII. मान्य प्रावधान (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 68-69डी)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर.

प्रश्न VII.1 आयकर विधेयक 2025 के माध्यम से डीमिंग प्रावधानों में किए गए किसी भी बड़े बदलाव पर प्रकाश डालें? इस बदलाव से निश्चितता में किस तरह सुधार हुआ है?

उत्तर: प्रावधानों को सरल बनाया गया है। धारा 69बी को विभाजित करके धारा 69 और 69ए के साथ मिला दिया गया है। कराधान की दर पर विवादों को कम करने और निश्चितता प्रदान करने के लिए, इस अध्याय में कराधान की दरों को निर्दिष्ट करने वाली धारा का संदर्भ प्रदान किया गया है। अस्पष्टता को कम करने की दिशा में, जहाँ तक संभव हो, निश्चितता प्रदान की गई है और कराधान की दर को अध्याय में ही निर्दिष्ट किया गया है।

प्रश्न VII.2 मौजूदा आयकर अधिनियम में धारा 68 'नकद क्रेडिट' का नाम बदलकर विधेयक में 'अस्पष्टीकृत क्रेडिट' क्यों कर दिया गया है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 68, खातों की पुस्तकों में पाए जाने वाले अस्पष्टीकृत क्रेडिट (नकदी के खाते में जमा के बजाय) पर कर लगाने से संबंधित है। नए विधेयक की संबंधित धारा 102 में, धारा के प्रावधान वही रहेंगे और केवल नामकरण में बदलाव होगा। इस धारा के तहत अस्पष्टीकृत क्रेडिट पर कर लगाया जाना जारी रहेगा।

VIII हानि और अनवशोषित मूल्यहास का सेट-ऑफ और कैरी-फॉरवर्ड, आदि (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 70-80)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न VIII.1 क्या हाल के बजट भाषण में विलयन और व्यवसाय पुनर्गठन प्रावधानों में आगे ले जाने वाली हानि की सीमा तय करने से संबंधित घोषित परिवर्तन आयकर विधेयक, 2025 में शामिल किए जाएंगे?

उत्तर: हां, प्रस्तावित सरलीकृत आयकर विधेयक में बजट 2025 द्वारा प्रस्तुत आयकर अधिनियम में ऐसे संशोधित प्रावधान शामिल किए गए हैं।

प्रश्न VIII.2. क्या आप इस अध्याय में अनावश्यक धाराओं और प्रावधानों को हटाने के उदाहरण दे सकते हैं?

उत्तर: हां, धारा 71ए और धारा 75 इसके उदाहरण हैं।

मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा	नए आयकर विधेयक 2025 में धारा हटाई गई
<p>"गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत हानि के समायोजन हेतु संक्रमणकालीन प्रावधान।</p> <p>71ए. जहां 1 अप्रैल, 1993 या 1 अप्रैल, 1994 को प्रारंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष के संबंध में, "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि जहां तक वह धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (vi) में निर्दिष्ट उधार ली गई पूंजी पर ब्याज से संबंधित है और जहां तक वह सेट ऑफ नहीं की गई है, 1 अप्रैल, 1995 को प्रारंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष में आगे ले जाई जाएगी और सेट ऑफ की जाएगी, और शेष, यदि कोई हो, 1 अप्रैल, 1996 को प्रारंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष में किसी भी शीर्षक के अंतर्गत आय के विरुद्ध सेट ऑफ की जाएगी।</p>	निरसित
<p>फर्मों का घाटा.</p> <p>75. जहां करदाता एक फर्म है, 1 अप्रैल, 1992 को या उससे पहले प्रारंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष के संबंध में कोई हानि, जो फर्म की किसी अन्य आय के विरुद्ध सेट ऑफ नहीं की जा सकती थी और जो फर्म के किसी भागीदार को विभाजित कर दी गई थी, लेकिन 1 अप्रैल, 1993 को प्रारंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से पहले ऐसे भागीदार द्वारा सेट ऑफ नहीं की जा सकती थी, तो ऐसी हानि को फर्म की आय के विरुद्ध इस शर्त के अधीन सेट ऑफ करने की अनुमति दी जाएगी कि भागीदार उक्त फर्म में बना रहे और धारा 70, 71, 72, 73, 74 और 74 ए के तहत सेट ऑफ के लिए आगे ले जाया जाए।</p>	निरसित

IX . आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय 6ए के अंतर्गत

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न IX. 1: अध्याय 6 के संदर्भ में सरलीकरण के प्रमुख बिंदु क्या हैं?

उत्तर: इस अध्याय में, मौजूदा प्रावधानों और स्पष्टीकरणों को मुख्य धाराओं में एकीकृत किया गया है, जिससे स्पष्टता और सुसंगतता में सुधार हुआ है। धारा 80 सी जैसी बड़ी और जटिल धाराओं को सुव्यवस्थित किया गया है, और बेहतर प्रस्तुति और समझ के लिए विस्तृत प्रावधानों को अनुसूची XV में स्थानांतरित कर दिया गया है।

इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-आईए, 80-आईबी, 80-1एबी, 80-आईबीए के प्रावधान अभी भी उन उपक्रमों या उद्यमों या परियोजनाओं पर लागू होंगे जो पहले से ही इन धाराओं के अनुसार कटौती का लाभ उठाने के लिए पात्र थे, जिसे आवश्यक बचत और निरसन खंड को शामिल करके सुनिश्चित किया गया है।

प्रश्न IX. 2. धारा 80सी में क्या प्रमुख पुनर्गठन किया गया है?

उत्तर: धारा 80सी के तहत कटौती के लिए पात्र विभिन्न राशियाँ, जो पहले पूरे खंड में फैली हुई थीं, अब प्रस्तावित अनुसूची XV में पात्र बचत साधनों की सरलीकृत व्यवस्था में बदल दी गई हैं। कटौती की सीमा धारा के भीतर स्पष्ट रूप से बताई गई है, जबकि अनुसूची पात्र कटौतियों का समझने में आसान विवरण प्रदान करती है। यह करदाताओं के लिए प्रक्रिया को सरल बनाता है, इसे अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाता है। बेहतर पहुँच और समझ के लिए ये बदलाव किए गए हैं।

प्रश्न IX. 3. धारा 80जी में किस प्रकार सुधार किया गया है?

उत्तर: धारा 80जी, जो दान के लिए कटौती प्रदान करती है, को बिना किसी नीतिगत बदलाव के पात्र कटौतियों के प्रतिशत के आधार पर कटौतियों को स्पष्ट रूप से अलग करने के लिए संशोधित किया गया है - 100% और 50%। इससे करदाताओं के लिए सही कटौती राशि की पहचान करना और उसका दावा करना आसान हो जाता है।

प्रश्न IX. 4. धारा 80टीटीए और 80टीटीबी में क्या परिवर्तन किए गए हैं?

उत्तर: पहले, धारा 80TTA और 80TTB बचत खातों से अर्जित ब्याज पर कटौती प्रदान करती थी- 80TTA आम जनता के लिए और 80TTB वरिष्ठ नागरिकों के लिए। इन धाराओं को अब एक प्रस्तावित धारा में मिला दिया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित उप-धाराएँ हैं। विभिन्न श्रेणियों के करदाताओं के लिए पात्रता मानदंड और कटौती सीमाएँ अब स्पष्ट हैं, जिससे कई धाराओं को संदर्भित करने की आवश्यकता कम हो गई है। यह परिवर्तन स्पष्टता और उपयोग में आसानी को बढ़ाता है, खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए।

प्रश्न IX. 5. धारा 80पीए में क्या सुधार किए गए हैं?

उत्तर: धारा 80पीए के तहत पात्र करदाताओं की परिभाषा स्पष्ट कर दी गई है, तथा विभिन्न पात्रता मानदंडों को बिंदुवार सूचीबद्ध किया गया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि करदाता बिना किसी गलत व्याख्या के आसानी से अपनी पात्रता निर्धारित कर सकते हैं।

प्रश्न IX. 6. धारा 80आरआरबी को कैसे सरल बनाया गया है?

उत्तर: पेटेंट से अर्जित रॉयल्टी पर कटौती का दावा करने वाले पात्र करदाताओं की परिभाषा को स्पष्ट कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कटौती राशि की गणना को स्पष्ट करने के लिए भाषा को संशोधित किया गया है।

प्रश्न IX. 7. आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय VIA के अंतर्गत कर प्रोत्साहन नई कर व्यवस्था में उपलब्ध नहीं हैं। क्या प्रस्तावित कानून में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया है?

उत्तर: ऐसे कई प्रावधान हैं जिनके लिए वित्त अधिनियम, 2016 में पहले ही सूर्यास्त तिथि निर्धारित कर दी गई थी। इसलिए, उस तिथि तक उनके लिए कटौती उपलब्ध है। हालाँकि, निवेश से जुड़ी कटौती को चरणबद्ध तरीके से समाप्त नहीं किया

गया है। इसलिए, 80C, 80CCD, 80D, 80DD, 80DDDB, 80EEA, 80EEB, 80U, आदि के तहत कटौती नए आयकर विधेयक, 2025 में जगह पाती है।

प्रश्न IX. 8. स्टार्ट-अप या आईएफएससी से संबंधित धारा 80जेजेए या प्रावधान को कैसे संबोधित किया गया है?

उत्तर: ये प्रावधान नए आयकर विधेयक, 2025 में भी लागू रहेंगे।

X. अग्रिम कर, रिफंड और ब्याज

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न X. 1 क्या नए आयकर विधेयक, 2025 में अग्रिम कर से संबंधित प्रावधानों में कोई बदलाव किया गया है?

उत्तर: नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालाँकि, निम्नलिखित दृष्टिकोण से प्रावधानों को पढ़ना आसान बना दिया गया है:

i. करदाता द्वारा अपनी इच्छा से तथा कर निर्धारण अधिकारी के आदेशानुसार भुगतान से संबंधित प्रावधानों को भ्रम से बचने के लिए दो अलग-अलग धाराओं में विभाजित किया गया है।

ii. अनावश्यक प्रावधानों को हटा दिया गया है।

iii. अग्रिम कर देयता की गणना के लिए एक सूत्र प्रदान किया गया है।

प्रश्न X. 2. रिफंड और ब्याज से संबंधित प्रावधानों में प्रमुख सुधार क्या हैं?

उत्तर: विभिन्न स्थितियों में ब्याज की गणना के लिए सूत्र प्रदान किए गए हैं, उदाहरण के लिए, आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने में चूक के लिए ब्याज की गणना के लिए निम्नलिखित सूत्र प्रदान किया गया है:

$$I = 1\% * A * T$$

जहाँ,-

I= देय ब्याज;

A= कर की वह राशि जिस पर ब्याज देय है

T = प्रारंभिक तिथि के तुरंत बाद की तारीख से शुरू होने वाली और अंतिम तिथि पर समाप्त होने वाली अवधि में शामिल महीनों की संख्या।

प्रश्न X. 3. ब्याज गणना से संबंधित प्रावधानों में अन्य क्या सुधार हुए हैं?

उत्तर: ब्याज की गणना अवधि और ब्याज दर पर आधारित होती है। अवधि की गणना के लिए, सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रारंभ तिथि और समाप्ति तिथि हैं और उन्हें नीचे दी गई तालिका के रूप में प्रदान किया गया है:

क्र.सं.	परिस्थितियाँ	आरंभ तिथि	समाप्ति तिथि	कर की वह राशि जिस पर ब्याज देय है
A	B	C	D	E

इस प्रकार, करदाताओं को विभिन्न परिदृश्यों में देय अवधि के लिए ब्याज की गणना की आरंभ तिथि और अंतिम तिथि तथा देय ब्याज की राशि के बारे में स्पष्टता होगी।

XI. विशेष दर के मामलों में कराधान

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न XI..1 मैंने आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है। क्या मुझे नए आयकर विधेयक, 2025 में भी इसे पुनः चुनना होगा?

उत्तर: नहीं, करदाताओं के सभी अधिकार और कर्तव्य बरकरार रहेंगे। वास्तव में, यह बदलाव सहज होने की उम्मीद है।

प्रश्न XI..2 क्या प्रस्तावित अधिनियम के लिए नए नियम और प्रपत्र निर्धारित किए जाएंगे, विशेषकर नई कर व्यवस्था चुनने या एमएटी का दावा करने के लिए?

उत्तर: प्रस्तावित विधेयक संसद में पेश किया जा चुका है। जैसे ही कानून बनेगा, करदाताओं और सभी हितधारकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, उन्हें लागू करने के लिए प्रशासनिक उपाय लागू किए जाएंगे। आवश्यक विवरण समय रहते बता दिए जाएंगे।

प्रश्न XI.3 क्या हाल के बजट में किए गए परिवर्तनों को प्रस्तावित अधिनियम में शामिल किया गया है, विशेष रूप से व्यक्तिगत करदाताओं के लिए?

उत्तर: हां, स्लैब दरों और संबंधित छूट में किए गए परिवर्तनों को प्रस्तावित विधेयक में शामिल कर लिया गया है।

प्रश्न XI. 4. क्या विशेष मामलों के कराधान की दरों या शर्तों में कोई परिवर्तन हुआ है?

उत्तर: ऐसे विशेष दर प्रावधानों के लिए कोई नीतिगत बदलाव प्रस्तावित नहीं किया गया है। विशेष दर व्यवस्था पहले की तरह ही काम करेगी। हालांकि, अधिनियम में संरचनात्मक परिवर्तन के माध्यम से पर्याप्त सरलीकरण किया गया है जो इसे करदाता के अनुकूल बनाता है।

प्रश्न 63. क्या घरेलू करदाताओं के लिए विशेष दरों से संबंधित प्रावधानों में कोई बदलाव किया गया है?

उत्तर: कोई नीतिगत बदलाव नहीं किया गया है। हालाँकि, निम्नलिखित दृष्टिकोण से प्रावधानों को आसान बनाया गया है:

a) नई कर व्यवस्था अब एक अलग हिस्सा है जो व्यक्तिगत करदाताओं, घरेलू कंपनियों, सहकारी समितियों और अन्य पात्र करदाताओं के लिए कराधान की विशेष दर के लिए समर्पित है।

b) अनावश्यक प्रावधानों को हटा दिया गया है।

c) कई स्पष्टीकरणों और शर्तों को हटाने तथा अधिनियम के तहत विशेष दरों को आकर्षित करने वाली विभिन्न विशेष प्रकार की आय को एक साथ लाने के लिए तालिकाएं प्रदान की गई हैं।

XII. दोहरे कराधान से राहत

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न XII. 1. क्या कर संधि में निहित शर्तों की व्याख्या के संबंध में कुछ नया है?

उत्तर: विधेयक केवल ऐसी संधि में प्रयुक्त शर्तों के संबंध में भारत की कर संधि स्थिति को स्पष्ट करता है। विधेयक की प्रस्तावित धारा 159(7) में अब उल्लेख किया गया है कि:

(i) यदि किसी शब्द का प्रयोग समझौते में किया गया है तथा उसे समझौते और विधेयक दोनों में परिभाषित किया गया है, तो उसका अर्थ वही होगा जो समझौते में दिया गया है;

(ii) यदि कोई शब्द समझौते में प्रयुक्त है, किन्तु उसे परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु विधेयक में उसकी परिभाषा है, तो उसका वही अर्थ होगा जो विधेयक में या केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए किसी स्पष्टीकरण में दिया गया है, तथा वह अर्थ समझौते की तिथि से लागू होगा;

(iii) यदि किसी शब्द का प्रयोग समझौते में किया गया है और वह न तो समझौते में और न ही विधेयक में परिभाषित है, तो उसका वही अर्थ होगा जो केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अधिसूचना में दिया गया है, और ऐसा अर्थ समझौते की तारीख से लागू होगा;

(iv) यदि किसी शब्द का प्रयोग करार में किया गया है और वह करार में या विधेयक में या किसी अधिसूचना में परिभाषित नहीं है, तो उसका अर्थ वही होगा जो करारों से संबंधित केन्द्र सरकार के किसी अधिनियम में दिया गया है, या उसके अभाव में केन्द्र सरकार के किसी अन्य कानून में दिया गया है, और ऐसा अर्थ करार की तारीख से लागू होगा।

इस स्पष्ट स्थिति से मुकदमेबाजी कम होगी और कर संधि की स्थिति में किसी भी शब्द की व्याख्या कैसे की जाती है, इस बारे में निश्चितता मिलेगी। यह भारत की वर्तमान कर संधि स्थिति को दर्शाता है और इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कर संधि प्रथाओं के साथ भी संरेखित है।

XIII. टन भार कर

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न XIII.1 प्रस्तावित अधिनियम में टन भार कर के संबंध में क्या परिवर्तन किए गए हैं?

उत्तर: टन भार कर योजना में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया है। हालाँकि, बेहतर पठनीयता के लिए अनुभागों को पुनर्व्यवस्थित और पुनर्गठित किया गया है। बजट 2025 में किए गए बदलावों को भी उचित रूप से शामिल किया गया है।

XIV. कर प्रशासन

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न XIV.1. प्रस्तावित विधेयक की धारा 247, आयकर अधिनियम की धारा 132 के समतुल्य है, जिसमें "सक्षम प्राधिकारी", "अनुमोदन प्राधिकारी" आदि का प्रावधान है। ऐसा परिवर्तन क्यों प्रस्तावित है?

उत्तर: करदाताओं के मन में भ्रम की स्थिति को दूर करने तथा ऐसे प्राधिकारियों की भूमिका और कार्यों में स्पष्ट अंतर करने के लिए प्रस्तावित विधेयक में "सक्षम प्राधिकारी" और "अनुमोदन प्राधिकारी" शब्दों को परिभाषित किया गया है।

प्रश्न XIV.2. प्रस्तावित अधिनियम की धारा 261(ई) में 'कम्प्यूटर प्रणाली' की परिभाषा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में दिए गए अर्थ से भिन्न क्यों है?

उत्तर: आयकर अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम दो अलग-अलग अधिनियम हैं और अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। आयकर अधिनियम में कम्प्यूटर प्रणाली की परिभाषा में कम्प्यूटर नेटवर्क, कम्प्यूटर संसाधन, संचार उपकरण, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक डेटा भंडारण उपकरण, आभासी डिजिटल स्थान आदि शामिल हैं।

प्रश्न XIV. 3. आयकर अधिनियम, 1961 में अध्याय XIII के अंतर्गत आयकर अधिकारियों से संबंधित चार भाग हैं, जबकि प्रस्तावित विधेयक में अध्याय XIV के अंतर्गत 'कर प्रशासन' शीर्षक के अंतर्गत केवल दो भाग हैं। इनमें क्या अंतर है?

उत्तर: प्रस्तावित विधेयक में भाग ए और बी को मिला दिया गया है क्योंकि वे आयकर अधिकारियों और उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित हैं। इसके अलावा, शक्तियों से संबंधित भाग सी और सूचना के प्रकटीकरण से संबंधित भाग डी को प्रस्तावित विधेयक में मिला दिया गया है।

XV. अपराध और अभियोजन

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न XV. 1. क्या विधेयक के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दंड में कोई वृद्धि की गई है?

उत्तर: नहीं

प्रश्न XV. 2. क्या धारा 12 के किसी प्रावधान के लिए कोई नई अभियोजन धारा शुरू की गई है?

उत्तर: नहीं

XVI. विविध

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न- XVI.1 यदि आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत मेरा रिफण्ड लंबित है, तो क्या मुझे नया अधिनियम लागू होने के बाद यह मिलेगा?

उत्तर: हां। करदाताओं के सभी अधिकार और कर्तव्य बरकरार रहेंगे। करदाताओं को कानून के अनुसार उनका उचित रिफंड मिलेगा।

प्रश्न- XVI.2 क्या फेसलेस अनुमोदन या पंजीकरण हटा दिया गया है?

उत्तर: नहीं।

प्रश्न- XVI.3 क्या प्रस्तावित विधेयक के लिए नये नियम और प्रपत्र निर्धारित किये जायेंगे?

उत्तर: प्रस्तावित अधिनियम संसद के समक्ष रखा गया है। इसके बाद, नए आयकर विधेयक, 2025 के प्रावधानों के अनुसार, उन्हें लागू करने के लिए प्रशासनिक उपाय लागू किए जाएंगे। आवश्यक विवरण यथासमय सूचित किए जाएंगे।

प्रश्न- XVI.4 क्या विधेयक सीबीडीटी को कर प्रशासन नियम बनाने, अनुपालन उपाय प्रस्तुत करने तथा विधायी संशोधनों की आवश्यकता के बिना डिजिटल कर निगरानी प्रणाली लागू करने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारियां देता है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 295 में पहले से ही CBDT को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की आवश्यकता है। उप-धारा 1 में ऐसी शक्तियों की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, धारा की उप-धारा 2 में भी विशिष्ट मामलों को सूचीबद्ध किया गया है। आयकर विधेयक, 2025 का खंड 533 इन जिम्मेदारियों को दोहराता है जो पहले से ही CBDT को प्रदान की गई हैं।

XVII. मूल्यांकन प्रक्रिया

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न XVII.1 इस अध्याय में किये गये परिवर्तनों की मुख्य बातें क्या हैं?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 153, जो मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन आदि करने के लिए सीमाएं प्रदान करती है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 155, जो अन्य संशोधनों से संबंधित है, को पठनीयता की दृष्टि से सारणीबद्ध प्रारूप में परिवर्तित कर दिया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 144बी, जो कि फेसलेस मूल्यांकन करने की प्रक्रिया निर्धारित करती है, को सरल बनाया गया है तथा विधेयक की धारा 273 के रूप में पुनः तैयार किया गया है।

विधेयक में धारा 153ए से 153डी को हटा दिया गया है क्योंकि ये प्रावधान 1 अप्रैल 2021 के बाद की तलाशी पर लागू नहीं होते हैं।

प्रश्न XVII.2 इस अध्याय में अनुभागों की संख्या और शब्दों की संख्या में कितनी कमी की गई है?

उत्तर: नए आयकर विधेयक, 2025 में अध्याय XVI के भाग ए में 24 धाराएं हैं, जबकि आयकर अधिनियम, 1961 में 33 धाराएं थीं। इसके अलावा, शब्दों की संख्या भी 26,651 शब्दों से घटाकर 13,160 शब्द कर दी गई है।

प्रश्न XVII.3 कृपया इस अध्याय में किए गए नीतिगत परिवर्तनों, यदि कोई हों, का उल्लेख करें।

उत्तर: विधेयक के इस अध्याय में कोई बड़ा नीतिगत परिवर्तन नहीं किया गया है। हालाँकि, कुछ प्रावधानों में स्पष्टीकरणात्मक/प्रक्रियात्मक प्रकृति के छोटे-मोटे परिवर्तन किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं-

a. निम्नलिखित को धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के प्रयोजनों के लिए सूचना के रूप में शामिल किया गया है, जिसके लिए धारा 148 ए के तहत निर्धारित प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी, -

i. अनुमोदन पैनल के निर्देश

ii. किसी प्राधिकारी, न्यायाधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निहित कोई निष्कर्ष या निर्देश।

b. विभिन्न फेसलेस योजनाओं से संबंधित प्रावधानों को एक प्रस्तावित खंड अर्थात् धारा 532 में समेकित किया गया है, जो केंद्र सरकार को करदाता के साथ इंटरफेस को समाप्त करने के लिए योजनाएं तैयार करने की शक्तियां प्रदान करता है।

c. आभासी डिजिटल परिसंपत्ति को 'खोज मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए अघोषित आय' की परिभाषा में शामिल किया गया है।

XVIII आय की वापसी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर

प्रश्नXVIII.1 आयकर रिटर्न दाखिल करने में सरलीकरण के प्रयासों से करदाता के रूप में मुझे किस प्रकार मदद मिलेगी?

उत्तर: विधेयक के अध्याय XV को दो भागों में विभाजित किया गया है। भाग A (पैन से संबंधित) और भाग B (व्यक्ति के रिटर्न से संबंधित)। प्रस्तावित धारा 2034 (13) में विभिन्न श्रेणियों के करदाताओं को शामिल किया गया है, जिन्हें व्यक्ति के रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के अनुसार, ये करदाता विभिन्न उपधाराओं में बिखरे हुए हैं, प्रस्तावित आयकर विधेयक में सभी करदाताओं को एक स्थान पर समेकित किया गया है, जिससे करदाताओं की प्रत्येक श्रेणी के लिए अपने रिटर्न दाखिल करने के दायित्वों को पूरा करना आसान हो जाता है।

प्रश्नXVIII.2 क्या छूट प्राप्त संस्थाओं को आय का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है?

उत्तर: हां, छूट प्राप्त संस्थाओं को कर रिटर्न दाखिल करने की बाध्यता बनी रहेगी यदि छूट दिए जाने से पहले उनकी कुल आय कर के लिए उत्तरदायी न होने वाली राशि से अधिक है।

प्रश्नXVIII.3 क्या आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि में परिवर्तन हुआ है?

उत्तर: नहीं, प्रत्येक श्रेणी के करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथियाँ अभी भी वही हैं। अब उन्हें आसानी से समझने के लिए सारणीबद्ध फ़ॉर्म में प्रस्तुत किया गया है।

प्रश्नXVIII.4 क्या विलम्बित रिटर्न, संशोधित रिटर्न और अद्यतन रिटर्न के प्रावधानों में परिवर्तन किया गया है?

उत्तर: नहीं, विलंबित संसाधन, संशोधित रिटर्न और अद्यतन रिटर्न से संबंधित प्रावधान आयकर अधिनियम, 1966 (वित्त अधिनियम 2025 द्वारा प्रस्तावित प्रावधानों सहित) के समान ही हैं।

XIX.स्रोत पर कर कटौती और संग्रहण

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर

प्रश्नXIX.1. टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों में किए गए सरलीकरण की मुख्य बातें क्या हैं?

उत्तर: मौजूदा अधिनियम में 43 धाराएँ हैं जो विभिन्न राशियों को निर्दिष्ट करती हैं जो भुगतानकर्ता/प्राप्तकर्ता की स्थिति के आधार पर लागू मौद्रिक सीमाओं के अधीन टीडीएस के लिए उत्तरदायी हैं। धाराएँ वह दर प्रदान करती हैं जिस पर स्रोत पर कर कटौती की जा सकती है।

प्रस्तावित विधेयक में इन सभी धाराओं को एक धारा में मिला दिया गया है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 393 में तीन व्यापक श्रेणियों के भुगतानकर्ताओं - निवासी, गैर-निवासी और किसी भी व्यक्ति पर लागू होने वाली 3 तालिकाएँ हैं। प्रत्येक श्रेणी के लिए संबंधित तालिका में आय या राशि की प्रकृति, मौद्रिक सीमा, भुगतानकर्ता/व्यक्ति और टीडीएस की लागू दर निर्दिष्ट की गई है।

निवासी भुगतानकर्ताओं के लिए तालिका में समान प्रकृति की राशियों को एक साथ जोड़ दिया गया है, जैसे कमीशन, किराया, ब्याज, पूंजी बाजार से आय, आदि। इसके अलावा, एक अलग तालिका प्रदान की गई है जिसमें उन मामलों/स्थितियों को शामिल किया गया है जहां टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है।

इसी तरह, टीसीएस से संबंधित प्रावधानों को मिलाकर एक खंड में रखा गया है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 394 में एक तालिका है जो प्राप्तियों की प्रकृति, मौद्रिक सीमा, संग्रहकर्ता और टीसीएस की दर को निर्दिष्ट करती है। उक्त खंड में टीसीएस का संग्रह न करने की शर्तें भी निर्धारित की गई हैं।

इसके अलावा, निम्नलिखित मामलों से संबंधित प्रावधान, जो मौजूदा अधिनियम में पूरे अध्याय में मौजूद थे, को विलय कर दिया गया है और प्रस्तावित विधेयक में स्वतंत्र धाराओं के रूप में एक साथ रखा गया है,

- निम्न कटौती/संग्रह प्रमाण-पत्र सहित प्रमाण-पत्र
- अनुपालन एवं रिपोर्टिंग (विवरण दाखिल करना आदि)
- कर काटने या एकत्र करने या काटे गए या एकत्र किए गए कर का भुगतान करने में विफलता के परिणाम
- विवरणों का प्रसंस्करण

प्रश्नXIX. 2. अनुभागों की संख्या और शब्दों की संख्या के संदर्भ में कटौती की सीमा क्या है?

उत्तर: प्रस्तावित विधेयक में टीडीएस/टीसीएस से संबंधित प्रावधान 13 धाराओं में शामिल किए गए हैं, जबकि मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 में 69 धाराएँ हैं।

प्रस्तावित विधेयक के अध्याय XIX के प्रासंगिक भाग में 14,675 शब्द हैं, जबकि मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 में 27,452 शब्द हैं।

प्रश्नXIX. 3. प्रस्तावित विधेयक में टीडीएस/टीसीएस की कितनी दरें निर्धारित की गई हैं?

उत्तर: टीडीएस/टीसीएस की दरें और सीमाएँ आयकर अधिनियम, 1961 (वित्त विधेयक, 2025 तक संशोधित की जा रही हैं) के समान हैं।